# बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

---

## सरकारी प्रतिवेदन।

---

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

---

वृहस्पतिवार, तिथि 15 जुलाई, 1982 ई०।

---

विषय-सूची।


| | पृष्ठ। |
|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| अल्पसूचित प्रश्नोत्तर (संख्या 13 एवं 14) पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित। | 1—7 |
| तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 1134, 1812, 1813, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1846, 1875 एवं 1892। | 8—26 |
| परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) .. .. .. | 27—55 |
| दैनिक निबंध .. .. .. .. | 56 |


---

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई।

1819. सर्वश्री राघव प्रसाद एवं वृशिण पटेल—क्या मंत्री, खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के वैशाली प्रखंड स्थित ग्राम चकदरिया के प्रतिमा सिमेंट विक्रेता ग्राहकों को प्रति बोरा 5—10 किलो सिमेंट कम करके दिया करते हैं;

(2) क्या यह बात भी सही है कि जनता द्वारा शिकायत करने पर जनवरी, 1980 में समाहर्त्ता, वैशाली ने अंचलाधिकारी, वैशाली को जांच करने का आदेश दिया था, यदि हां, तो प्रतिमा सिमेंट के विक्रेता के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई की गई, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कुमुद रंजन झा—(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(2) यह सही नहीं है कि जनवरी 1980 में जनता की शिकायत पर जाँच का आदेश दिया गया था।

वस्तुस्थिति यह है कि सिमेंट विक्रेता के विरुद्ध जाँच करने का आदेश 1982 में दिया गया था। इस क्रम में 11 मई 1982 को अंचलाधिकारी वैशाली ने जाँच की। उस दिन उनके भंडार में 421 बोरे सिमेंट उपलब्ध थे। इसमें से भिन्न-भिन्न छल्ली से 40 बोरे सिमेंट निकाल कर उनका वजन लिया गया। औसत वजन 50.2½ किलो ग्राम आया। एक बोरे सिमेंट का वजन 50 किलोग्राम रहता है। वजन ठीक पाये जाने के कारण सिमेंट बिक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री वृशिण पटेल—अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ। वहां पर जो लोग सिमेंट लाने जाते हैं तो उसमें दस-पन्द्रह किलोग्राम सिमेंट कम रहता है और जब सिमेंट लेनेवाले उसकी शिकायत करते हैं तो उसको गर्दनिया देकर दूकानदार निकाल देता है। इसकी जानकारी इनको है या नहीं?

श्री कुमुद रंजन झा—इसकी जानकारी नहीं है।

श्री वृशिण पटेल—सरकार इसकी जाँच ठीक से करायेगी?

रोड रौलर की व्यवस्था।

1820. सर्वश्री उपेन्द्र प्र० वर्मा एवं राम परीक्षण साहु—क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव श्री चन्द्रमोहन प्र० वर्मा ने अपने ज्ञापांक 2570, दिनांक 8 मई 1982 के द्वारा

मुंगेर के समाहर्त्ता को जमालपुर नगरपालिका को रोड रौलर शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा जमालपुर नगरपालिका को रोड रौलर उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे सड़क पर का कार्य नहीं किया जा सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जमालपुर नगरपालिका को रोड रौलर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रणजीत सिन्हा—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) जिला समाहरणालय मुंगेर से अबतक प्राप्त सूचना के अनुसार जमालपुर नगरपालिका को रोड रौलर उपलब्ध कराने हेतु विशेष पदाधिकारी, जमालपुर नगरपालिका द्वारा जिला परिषद्, मुंगेर के जिला अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन, मुंगेर से अनुरोध किया गया था, परन्तु तीनों विभागों द्वारा रौलर उपलब्ध नहीं हो सका। सरकार खुद बहुत चिन्तित है, इसलिये जिला पदाधिकारी, मुंगेर को टैली प्रिन्टर मेसेज द्वारा यह आदेश दिया गया है कि अविलम्ब रोड रौलर की व्यवस्था करवा दें एवं टैली प्रिन्टर मेसेज द्वारा इसके कार्यान्वयन की सूचना नगर विकास विभाग को दें।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा—अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह जिम्मेदारी होगी कि बरसात के पहले उसको उपलब्ध कराकर काम करा दें।

सड़क की मरम्मत।

1821. सर्वश्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा एवं राम परीक्षण साहु—क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के जमालपुर नगरपालिका का जहांगीरा पथ, केशोपुर पथ, लक्ष्मणपुर पथ, रामचन्द्रपुर पथ; सदर बाजार पथ, दरियापुर पथ को मरम्मती पिछले 20 वर्षों से नहीं हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि मरम्मती के अभाव में उपर्युक्त सभी सड़कों की स्थिति दयनीय हो गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है?

श्री रणजीत सिन्हा—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। रामचन्द्र पथ जिसका गत वर्ष निर्माण कार्य किया गया है, को छोड़कर अन्य सड़कों की मरम्मती 20 वर्षों से नहीं हुई है।